न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–15, आगरा/विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) आगरा।

पीठासीन अधिकारी–राजीव कुमार पालीवाल(एच0जे0एस0)

UPAG010048792022

विशेष सत्र परीक्षण सं0 650/2022

सरकार बनाम राशिद उर्फ गफ्फार उर्फ बन्टू

सत्र परीक्षण सं0650/2022

मु0अ0सं0–49/2022

धारा–8/22 एन0डी0पी0एस0एक्ट

थाना–एत्माददौला, आगरा।

दिनांक–27.03.2025

विशेष वाद सं0650/2022,राज्य बनाम राशिद उर्फ बन्टू, मु0अ0सं0 49/2022 अन्तर्गत धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना एत्माददौला, आगरा से सम्बन्धित अभियुक्त राशिद उर्फ गफ्फार उर्फ बन्टू की जमानत की शर्तो में शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त राशिद उर्फ गफ्फार उर्फ बन्टू की ओर से प्रार्थनापत्र 18 ग प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के सम्यक्रूपेण परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियुक्त की ओर से न्यायालय में जमानत पर रिहा किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 07.01.2025 को न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2025 को पारित आदेश में पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू एवं अन्डरटेकिंग दाखिल हेतु आदेशित किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SMWP (CRIMINAL) No.4/2021 in Re Police Streatgy for grant of Bail के वाद में पारित निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रकाश में तथा अभियुक्त की पारिवारिक परिस्थितियों एवं अभियुक्त की ओर से व्यक्त उसकी निर्धनता एवं दुर्बलता की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त **राशिद उर्फ गफ्फार उर्फ बन्टू** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 18ग के आधार पर उसके स्वबन्धपत्र एवं प्रतिभू की धनराशि को कम किये जाने के उचित एवं पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं।

उक्त परिस्थितियों में धारा 440(2)द0प्र0सं0/धारा 484(2) बी0एन0एस0एस0 एवं अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय–समय पर जमानत प्रदत्त करने सम्बन्धी दिशा

निर्देशों को दृष्टिगोचर रखते हुये अभियुक्त राशिद उर्फ गफ्फार उर्फ बन्टू के सम्बन्ध में स्वबन्धपत्र व जमानत की धनराशि 50,000/—रूपये (पचास हजार) रूपये के स्थान पर 30,000/— रूपये (तीस हजार) रूपये निर्धारित की जाती है। तदनुसार जमानत धनराशि के निर्धारण के सम्बन्ध में इस न्यायालय के स्तर से पारित आदेश दिनांकित 13.01.2025 संशोधित माना जाये।

अभियुक्त **राशिद उर्फ गफ्फार उर्फ बन्टू** की ओर से विशेष वाद सं0 650/2022, सरकार बनाम राशिद उर्फ गफ्फार उर्फ बन्टू मु0अ0सं0 49/2022, अन्तर्गत धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना एत्माद्दौला, आगरा में अंकन 30,000/—रूपये (तीस हजार) रूपये के स्वबन्धपत्र व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध दाण्डिक जमानत प्रार्थनापत्र सं0 9505/2022 एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांकित13.01.2025 के अनुपालन में समान धनराशि की दो जमानतें व न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

इस आदेश की एक—एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा इस आदेश से अभियुक्त **राशिद उर्फ गफ्फार उर्फ बन्टू** को अवगत कराये जाने हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, एवं जेल अधीक्षक, जिला कारागार,आगरा को अविलम्ब रूप से प्रेषित की जाये।

दिनांक—27.03.2025

(राजीव कुमार पालीवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,संख्या—15,
/विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट)
आगरा।
J.O. U.P.-6305

Digitally signed by RAJEEV KUMAR PALIWAL
Date: 2025.03.27 16:25:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court